अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आदेश

अवर सचिव, (निगरानी) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीत पत्र सं0–3870 (एस) अनु0 दिनांक–16.05.2025 से संवेदक M/s Raja Construction, Taj Colony, Panchyatia Akhara, Gaya के विरूद्ध पथ प्रमंडल सं०–1, गया अन्तर्गत भिण्डस–चमनडीह पथ के कि0मी0 0.00 से 21.30 कि0मी0 तक में संवेदक द्वारा समर्पित M & N Form तथा चालान के सत्यापन में पायी गयी अनियमितता के आलोक में संवेदक पर बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के सुसंगत नियम के तहत कार्रवाई किये जाने संबंधी आदेश फलक उपलब्ध कराया गया।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक–3229(E), दिनांक–22.05.2025 के द्वारा 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई। संवेदक के पत्रांक–शून्य दिनांक–06.06.2025 से एक अनुरोध पत्र समर्पित किया गया जिसमें स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करते हुए कतिपय कागजातों की मांग की गई, जिसे सम्यक विचारोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा विभागीय पत्रांक–3606 (E) दिनांक–09.06.2025 से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11(क)(ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस०) दिनांक–18.06.2015 की कंडिका–8 के उपकंडिका–1(d) के आलोक में संवेदक M/s Raja Construction, Taj Colony, Panchyatia Akhara, Gaya मोबाईल नं0–9771400158 (निबंधन सं०–1200036 दिनांक–15.09.2020) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

उक्त एवं अन्य समरूप कालीकरण आदेशों के विरूद्ध संवेदक M/s Raja Construction द्वारा दायर CWJC No.-9879/2025, CWJC No-10033/2025 एवं CWJC No.-10034/2025 में दिनांक–01.07.2025 को संयुक्त रूप से पारित न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत है :–

"6. Times without number, the Supreme Court has clarified that blacklisting for such a long period ought not to be resorted to. Proportionality, though is a question of fact, but in the present set of circumstances when the petitioners were not under a clear notice or at-least a notice which could have been responded without further clarification, blacklisting for ten years is too harsh.

7. Considering these aspects of the matter, we deem it appropriate to set aside the order of blacklisting of the petitioners but with a caveat, noted below.

8. The petitioners shall be issued notice in clear words with respect to the anomalies found by the respondents. After the petitioners have responded to such notice, their replies shall be taken into account and a reasoned order shall be passed.

9. The process shall be completed within a period of six weeks, to be counted from today.

10. All the writ petitions stand disposed off accordingly."

उपरोक्त वर्णित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक–3606 (E) दिनांक–09.06.2025 को निरस्त (Set Aside) किया जाता है। न्यायादेश के पूर्णतः अनुपालन हेतु पुनः प्रक्रियागत कार्रवाई करते हुए सकारण आदेश पारित कर निर्णय लिया जाएगा।

ह०/–
अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)

कृ०पृ०उ०

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध–04–175/2024– /पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– संवेदक M/s Raja Construction, Taj Colony, Panchyatia Akhara, Gaya मोबाईल नं0–9771400158 E-mail ID-suraj99340@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध–04–175/2024– /पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध–04–175/2024– /पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध–04–175/2024–4517(E) /पटना, दिनांक 11/7/2025

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

11/7/2025

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)

3